



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27052026-272895
CG-DL-E-27052026-272895

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2528]

नई दिल्ली, सोमवार, मई 25, 2026/ज्येष्ठ 4, 1948

No. 2528]

NEW DELHI, MONDAY, MAY 25, 2026/JYAISTHA 4, 1948

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
(सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 मई, 2026

का.आ. 2620(अ).— उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2026 (2026 का अधिनियम सं. 3) की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय सरकार एतद्वारा उक्त अधिनियम के उपबंधों को 25 मई, 2026, जिस तारीख से उक्त अधिनियम के उपबंध प्रवृत्त होंगे, नियत करती है।

[फा. सं. DP-13011(5)/4/2026-DP-III]

मोना खंधार, अपर सचिव

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT**(Department of Social Justice and Empowerment)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 22nd May, 2026

S.O. 2620(E).— In exercise of the powers conferred by the sub-section (2) of Section 1 of The Transgender Persons (Protection of Rights) Amendment Act, 2026 (No. 3 of 2026), the Central Government hereby appoints the 25th day of May, 2026 as the date on which the provision of the said Act shall come into force.

[F. No. DP-13011(5)/4/2026-DP-III]

MONA KHANDHAR, Addl. Secy.